बिहार सरकार संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या— सं०का०—1 / वि०मं०(नेता वि० दल, सं०स०, सचे० और स०नेता)०५–०२ / २०१७–<u>२३१</u> / पटना, दि०–२७.०२.२०२३

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023

 संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (i) यह नियमावली बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जा सकेगी।

(ii) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

 उक्त नियमावली के नियम–3 में निहित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त स्पष्टीकरण 3 (iii) निम्नांकित रूप में सम्मिलित किया जायेगा :–

''बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के माननीय मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतकगण तथा विरोधी दल के मुख्य सचेतक को राज्य सरकार के माननीय मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के विभिन्न संकल्पों द्वारा दिये गये एच0ओ0आर0 की सुविधा,

अथवा

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) द्वारा माननीय सदस्य के रूप में देय रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।

उपर्युक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक सुविधा का चयन महानुभावों द्वारा उनके मनोनयन की अधिसूचना की तिथि या इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर किया जा सकेगा।" बिहार राज्यपाल के आदेश से.

ह0/-

(उदय प्रताप सिंह) सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- सं0का0-1/वि0मं०(नेता वि0 दल, सं0स0, सचे0 और स0नेता)05-02/2017-231/ पटना, दि0-27.02.2023

प्रतिलिपि—महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- सं0का0-1/वि0मं०(नेता वि0 दल, सं0स0, सचे0 और स0नेता)05-02/2017-231/ पटना, दि0-27.02.2023

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध करना है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें एवं आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव। अ

Amendment in Whip Rules_2006-10-11-2022

बिहार सरकार संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या— सं०का०—1/वि०मं०(नेता वि० दल, सं०स०, सचे० और स०नेता)05—02/2017—232/ पटना, दि०—27.02.2023 संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—231 दिनांक 27.02.2023 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / − (उदय प्रताप सिंह) सरकार के संयुक्त सचिव।

Parliamentary Affairs Department

Notification

P.A.-1/V.M.(N.V.D.,S.S.,S.&S.N.)-05-02/2017-231/ Patna, Dated-27-02-2023

In exercise of the powers conferred by section 8 of the Bihar Legislature (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 2006 (Act No. 16, 2006) (As amended from time to time), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend Bihar Legislature Leader of the Opposition, Parliamentary Secretary, Whip and Leader of the House (Salary and Allowances) Rules, 2006:-

Bihar Legislature Leader of the Opposition, Parliamentary Secretary, Whip and Leader of the House (Salary and Allowances) (Amendment) Rules, 2023

1. Short title and commencement.-

- (1.) These Rules may be called the Bihar Legislature Leader of the Opposition, Parliamentary Secretary, Whip and Leader of the House (Salary and Allowances) (Amendment) Rules, 2023.
- (2.) This Notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.
- 2. In addition to the Explanation contained in Rule -3 of the said Rules the Explanation 3(iii) shall be added as follows:

"Facility of HOR provided by various resolutions of Cabinet Secretariat Department to Hon'ble Minister, Minister of State and Deputy Minister of State Government admissible to Hon'ble Chief Whip, Deputy Chief Whip, Whips of the Ruling Party and Chief Whip of the Opposition Party.

or

Facility of travelling by Rail/Air as an Hon'ble Member under Bihar Legislature (Salary, Allowances and Pension of Members) Rules, 2006 (as amended upto date).

Amendment in Whip Rules_2006-10-11-2022

The dignitaries shall be required to choose one of the two options within one month of the notification of their nomination or from the date of commencement of this notification."

By the order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Uday Pratap Singh) Joint Secretary to Government.

Memo No.:- P.A.-1/V.M.(N.V.D.,S.S.,S.&S.N.)-05-02/2017-232/Patna, Dated-27-02-2023

Copy forwarded to Accountant General, Veerchand Patel Path, Bihar, Patna/ Secretary In-charge, Bihar Legislative Assembly/ Acting Secretary, Bihar Legislative Council/ Principal Secretary to H.E. Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Minister, Parliamentary Affairs Department/ Finance Department/ Law Department/ All Departments of Government/ Advocate General, Bihar, Patna / Treasury Officer, Secretariat Treasury, Sinchai Bhawan, Patna for information and necessary action.

Sd/-

Joint Secretary to Government.

Memo No.:- P.A.-1/V.M.(N.V.D.,S.S.,S.&S.N.)-05-02/2017-232/ Patna, Dated-27-02-2023 Copy forwarded to Superintendent, Secretariat Press Gulzarbagh, Patna for publication in the extra ordinary issue of Bihar Gazette. It is requested that 1000 (one thousand) printed copies be made available to the Department/ I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for uploading on the Departmental Website.

Joint Secretary to Government.